

राज्य में आरा मशीन को स्थापित करने तथा काष्ठ हस्तकला उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति हेतु गठित समिति का संक्षिप्त विवरण

1.	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	राज्य में आरा मशीन स्थापित करने तथा काष्ठ हस्तकला उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति हेतु गठित समिति। पता - वन भवन, जयपुर
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाया या अन्य)	समिति।
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना पर्व,)	स्थापना पर्व-2006, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना आदेश क्रमांक एफ 10(17) वन/82 दिनांक 4-2-2006 द्वारा राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान फारेस्ट प्रोड्यूस (एटबिनसपेट एण्ड रेग्यूलेशन ऑफ सी मील्ल्स) रूल्स 1982 में संशोधित करने तथा काष्ठ हस्तकला उद्योग स्थापित करने का लाइसेन्स जारी करने सेपूव अनुमति हेतु समिति गठित की गयी।
4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)	परामर्शदात्री।
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	राज्यस्तरीय-(1) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो वन संरक्षण अधिनियम संबंधित कार्य सम्पादि करते हों-अध्यक्ष (2) भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि जो सहायक इंस्पेक्टर जनरल वन की रैंक से कम नहीं हो-सदस्य (3) राज्यस्तरीय काष्ठ एवं हस्तकला उद्योग का प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा। (4) वन संरक्षक वन संरक्षण-सदस्य सचिव
6.	सम्पर्क अधिकारी का नाम	वन संरक्षक, वन संरक्षण वन भवन, जयपुर
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	वन विभाग, वन भवन, जयपुर
8.	बैठक की आपूर्ति	समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्।
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10.	क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?	हाँ।
11.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती हैं ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार।